न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 28/2022

1 महावीर सिंह पुत्र खम्माराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरफुल पुत्र मंगलाराम
2 रामगोपाल पुत्र खम्माराम
3 ईन्द्रा पुत्री खम्माराम
जाति जाट निवासीगण बिशनपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
4 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
6 राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 रा. का. अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 22.02.2022 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू मुकदमा
उनवानी हरफुल बनाम महावीर सिंह वगै. मु.नं. 02/2018
प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 219/46 रकबा 0.28 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम बिशनपुरा पटवारी हल्का चुड़ेला तहत तहसील मलसीसर का खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हरफुल है। जमीन हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 2.00 हैक्टेयर ग्राम बिशनपुरा के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 रामगोपाल है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 47 व 219/46 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 55 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता कायम करवाने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.02.2022 को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के मुताबिक प्रकरण सिर्फ धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 का बनता है। कानून से धारा 251 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुनने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनू)

क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की जवाबदेही को आलौच्य निर्णय पारित करने में नजद अंदाज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के खिलाफ होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिण्डा की मौका रिपोर्ट दिनांकित 26.08.2020 धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 की वास्तविक मंशा के विरूद्ध है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनाई गई। कानून से धारा 251 ए आर.टी. एक्ट 1955 के प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में बनानी चाहिए तथा कानून से मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत एवं नजदीकी रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट में अंकन होना कानूनन आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। जमीन हाल खसरा नम्बर 61, 62, 63, 235/57 ग्राम बिशनुपरा के खातेदारों को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया। आदेशिका दिनांक 06.04.2021 के मुताबिक आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के बिना निस्तारण के ही विचाराधीन निर्णय पारित किया जो प्रकियात्मक विधि के कारण होने के कारण खारिज होने योग्य है गिरदावर हल्का ने जो मौका रिपोर्ट बनाई है उसकी फर्द मौका रिपोर्ट वास्तविकता से हटकर बनाई है वास्तविक नक्शासीट के मुताबिक खसरा नम्बर 55 के उत्तरी पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 47 की दुरी कम है। जबकि गिरदावर हल्का ने मौके की रिपोर्ट के साथ जो नक्शा बनाया है उसमें खसरा नम्बर 55 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 के खेत को 1/2 हिस्सा से अधिक दूरी तक दिखाया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट हरफुल से मिलीभगत से बनाई गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त आपत्तियों को दौराने बहस उठाया था लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस उठाई गई आपत्तियों को विचाराधीन निर्णय में दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने ग्राम बिशनपुरा के खसरा नम्बर 55 की उत्तरी सीमा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सहारे–सहारे 12 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है लेकिन विचारण न्यायालय ने उद्धार रूप अपनाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को मांग से बढ़कर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता खसरा नम्बर 55 में कायम करने का आदेश दिया है, 4 मीटर का फीट में नाप 13 फीट 2 ईंच बनता है जबकि मात्र रेस्पोडेनट नम्बर 1 ने 12 फीट चौड़ाई के रास्ते की मांग की है। कानून से रिलीफ से हटकर न्यायालय किसी व्यक्ति का रिलीफ नहीं दे सकता। निष्पक्ष न्याय में उदार रूख नहीं अपनाया जाता है। जमीन हाल खसरा नम्बर 47 ग्राम बिशनपुरा में आने जाने हेतु नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 56 में से है। खसरा नम्बर 55 से होकर खसरा नम्बर 47 में जाने के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि 'कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है'– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि– 1 यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और 2 अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है– तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जो, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तत रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नये मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जो हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग 180 मीटर लम्बा होना बताया है। जो संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार लघुत्तत प्रतीत होता है। अतः विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिण्डा की मौका रिपोर्ट दिनांकित 26.08.2020 धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 की वास्तविक मंशा के विरूद्ध है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनाई गई। कानून से धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में बनानी चाहिए तथा कानून से मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत एवं नजदीकी रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट में अंकन होना कानूनन आवश्यक है। जमीन हाल खसरा नम्बर 61, 62, 63, 235/57 ग्राम बिशनुपरा के खातेदारों को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया। आदेशिका दिनांक 06.04.2021 के मुताबिक आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र के बिना निस्तारण के ही विचाराधीन निर्णय पारित किया जो प्रक्रियात्मक विधि के कारण होने के कारण विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर